Sel L Lynny

उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-1,

संख्या 120 /iv(1)2014-80(राा)2004 देहरादून दिनाया 98 फेरवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1910 (उत्तर प्रदेश अभिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) संपित भारत का राविधान के अनुस्केव 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शांकित का प्रयोग करके जिला गजवात (पोटी गढ़ताल) अनुस्केव 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शांकित का प्रयोग करके जिला गजवात (पोटी गढ़ताल) अनुस्केव 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शांकित का प्रयोग करके जिला गजवात किये जाने के गूर्व संविधान के आधित्त्वात किये जाने के उद्देश्य से अधित्वाना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनितम अधिसूचना संख्या 17/IV(1)2014-90(सा)2004 दिनांक 28 जनवरी, 2014 के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अग्रेतर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुक्केद 243थ के खण्ड (क) के अभीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर पंचायत सत्तुकी का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

Breng.

अनुसूची-एक

क्रoसंo	ग्राम का नाम	गाहा संख्या
01 ·	सतपुली मल्ली	2084
UZ	सतपुली सैंग	1020

(एम०एच०खान) प्रमुख् सचिव।

सख्या 120 /IV(1)2014-90(सा)2004 तददिनॉक(पंजीकृत पत्र)

प्रतिक्षिपि निवेशक, मुवण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुवणालय, रूडकी को इस आशय के रााध प्रेपित कि वे उपत अधिसूचना को आगाभी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ जिलाधिकारी गढ़वाल निदेशक शहरी विकास तिभाग देहरादून एव प्रमुखं सचिव, राहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अरविष्य सिंह पांगती) अनु सचित।

संख्या किया (1V(3)2014-90(रा))2004 तद्दिनीक(पंजीच्या पज) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, सत्तराख्य ।

2- तमस्त प्रमुख सचिव/सविव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

३ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

4- सचिव, राज्य वित्तं आयोग, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड शासन।

5- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

6- निदेशक. पंचायती राज विमाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

7- निर्देशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, देहरादून।